



पू. रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे

60

सं०- एन/एसएस/पद्धति सुधार/2019

मुसिदूङ/प्रोजेक्ट

मुसिदूङ/निर्माण

वमंसिदूङ/इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी

उप मुसिदूङ/टेली

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर
गोरखपुर
दिनांक: 12.08.2023

विषय- पूर्वोत्तर रेलवे के एक स्टेशन पर सतर्कता निवारक जांच के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

संदर्भ- महाप्रबन्धक/सतर्कता कार्यालय के पत्र सं V9/2023/03/02016/PC/1/202 dated 25.07.2023

महाप्रबन्धक (सतर्कता)/पू०उ०रे०/गोरखपुर के संदर्भित पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के एक स्टेशन पर सतर्कता निवारक जांच के दौरान पाया गया कि कार्य के लिए schedule of work का अवास्तविक आकलन (unrealistic assessment) किया जा रहा है। अतः उपरोक्त अनियमितता के आधार पर निम्नलिखित कार्य-प्रणाली सुधार का अनुपालन सुनिश्चित करें -

1. किसी भी कार्य के Detailed Estimate को बनाते समय यदि किसी अपरिहार्य कारणों से site incharge द्वारा site survey नहीं हो पता है एवं Detailed Estimate के समर्थन में साइट से कोई डिमांड प्राप्त नहीं हो पाती है तो site incharge द्वारा site survey के उपरांत एक Demand प्राप्त करने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया करने के लिए schedule of work बनाया जाये और जरूरी item को ही tender में लिया जाये।
2. Site incharge द्वारा Demand बनाने से पहले outdoor एवं indoor का सर्वे करके सभी spare item की पोजीशन चेक कर लिया जाये, सभी constraints का विश्लेषण कर लिया जाये एवं स्टोर में पहले से उपलब्ध item को ध्यान में रखते हुए ही Demand बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. मण्डलों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाये की Detailed Estimate/schedule of work के साथ साइट सर्वे/साइट सुपरवाइजर से प्राप्त डिमांड आवश्यक रूप से संलग्न हो जिससे वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही tender किया जाये।
4. Site पर प्राप्त तथा इस्तेमाल किये गये मर्दों की मात्रा अंकित करने हेतु material consumption register तथा किये जा रहे कार्य हेतु work progress register



इत्यादि बनाया जाये जिसपर कांटेक्टर/कांटेक्टर के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए। मण्डल के उच्चाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उक्त registers का अवलोकन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

कृपया उपरोक्त पद्धति सुधार का अनुपालन सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत कराने की करें।

उपरोक्त पर प्रमुसिद्दं महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

 12/8/23
(राजेश कुमार सिंह)
मुसिद्दं/नियोजन

मुसिद्दं, मुसंइं/पू०उ०रे० महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।